



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/२०१९/४६९

दिनांक : ३०-०५-२०१९

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-१४ सन् २०१४) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक ३०-०५-२०१९ के अनुपालन में दुर्गेश नन्दिनी महाविद्यालय, चरेरा पूरा अयोध्या को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रा० इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों एवं स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम पाठ्यक्रम को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु मानक पूर्ण न होने के कारण निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१९-२० हेतु सशर्त सम्बद्धता विस्तरण प्रदान किया जाता है।

१. महाविद्यालय द्वारा अगले शैक्षिक सत्र से पूर्व फरवरी माह में नियमानुसार निर्धारित पैनल शुल्क जमा करते हुए स्थाई सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल गठित करने हेतु आवेदन किया जायेगा।
२. महाविद्यालय द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी मानक तथा पूर्व में निर्गत सम्बद्धता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश में उल्लिखित शर्तें पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
३. संस्था का पंजीकरण अद्यावधिक हो तथा महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन अनुमोदित हो।
४. विश्वविद्यालय की गत वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न हो।
५. मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों को महाविद्यालय द्वारा नियमित रूप से बैंक के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों के बैंक खातों में वेतन भुगतान किया जा रहा हो।
६. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: २८५१/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
७. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
८. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
९. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
१०. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६(२०)/२०११, दिनांक २२ मई, २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
११. शैक्षिक सत्र २०१९-२० में संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। यदि दिनांक: ३०.०६.२०१९ तक उक्त मानक पूर्ण नहीं किया जाता है तो महाविद्यालय के विरुद्ध उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अन्तर्गत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आगामी सत्र (जुलाई, २०२०) से सम्बद्धता वापस ले ली जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रबन्धक, दुर्गेश नन्दिनी महाविद्यालय, चरेरा पूरा अयोध्या।
२. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
३. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
४. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।


कुलसचिव